न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)
राजस्व वादपत्र संख्या :– 276/2015 (समायोजित– 282/15, 323/15)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. छोगाराम पुत्र वीराराम जाति– सुथार, निवासी– आकली, तहसील– धोरीमन्ना (बाड़मेर)		1. भंवराराम पुत्र लालाराम 2. मोहन पुत्र लालाराम 3. खिवणी पत्नी लालाराम, सभी जातियान– सुथार, निवासी– आकली, तहसील– धोरीमन्ना। 4. हीरालाल पुत्र भंवरलाल 5. पारसमल पुत्र भंवरलाल, सभी जातियान सोनी, निवासी अरणियाली। 6. गेहरों देवी पत्नी हुकमाराम पुत्री वीराराम 7. वरजू देवी पत्नी अमराराम पुत्री वीराराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू:–27.08.2013

अधिवक्तागणः–

01. श्री हापूराम गोदारा, अधिवक्ता वादी
02. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादीगण 06 से 08

–::निर्णय::– दिनांकः– 27/12/22

वादी की ओर से दिनांक– 27.08.2013 अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का संयुक्त परिवार था तथा वीरा के 04 जायन्दा पुत्र लाला, लिच्छा, छोगा, सोना थे, तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 लाला पुत्र वीरा के वारिसान है। कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की पैतृक तथा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की खरीद सुदा है। वर्तमान खातेदार लिच्छा, सोना पिसरान वीरा द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को बेचान कर दी। कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 04 ता 05 का 1/2 हिस्सा है। लेकिन उक्त हिस्से रेकर्ड में अंकित नहीं है तथा उक्त हिस्से रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है अतः खसरा सं. 80 रकबा 77–08 बीघा में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 का 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित करते हुए बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड्स

27/12/22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

खाता एवं लगान अलग–अलग किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजि. किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन किया गया। दौराने उक्त वाद के विचारण एक राजस्व वाद 282/15, 204/13 गेहरो देवी पत्नी हुकमाराम पुत्री वीराराम एवं वरजू देवी पत्नी अमराराम पुत्री वीरा की ओर से दिनांक 01.10.2013 को पेश किया गया। उक्त वादपत्र खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा किस्म बारानी सोयम की आराजी से संबंधित था। दिनांक 23.05.2016 को 282/15 को पूर्व वाद 276/15 के साथ समायोजित करते हुए गेहरो पत्नी हुकमा एवं वरजू पत्नी अमराराम को बतौर प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 के रूप में संयोजित किया गया एवं इनके वाद को जवाबदावा के रूप में स्वीकार किया। उक्त वाद में गेहरो पुत्री वीरा एवं वरजू पुत्री वीरा द्वारा निम्न सजरा/वंश वृक्षावली पेश की गई।

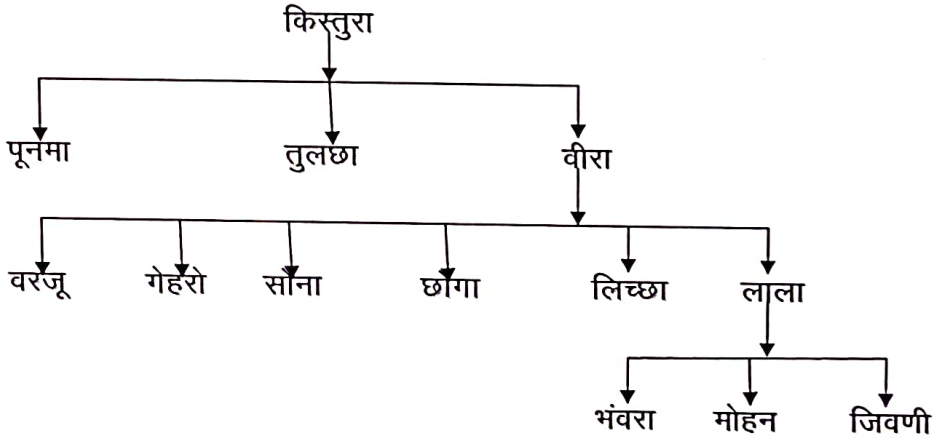

उक्त वाद में वादीगण की ओर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की पुश्तैनी एवं वक्त सेटलमेंट का खातेदारी का खेत मौजा– आकली तहसील गुड़ामालानी में खसरा संख्या 80 रकबा 232–04 बीघा आया था तथा सेटलमेंट के अधिकारियों की भूल से यह खसरा अकेले पूनमा पुत्र कस्तुरा उर्फ केतुरा के नाम अमलदरामद हुआ तो तुलछा पुत्र कस्तुरा द्वारा श्रीमान सहायक जिलाधीश बाड़मेर के न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जो वाद श्रीमान सहायक जिलाधीश बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 203/83 दर्ज किया गया तथा इस बाद में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् श्रीमान सहायक जिलाधीश बाड़मेर ने जरिए निर्णय दिनांक 06.01.1984 को यह निर्णय पारित किया कि खसरा संख्या 80 रकबा 232–04 बीघा की भूमि के 1/3 हिस्सा तुलछा वादी, 1/3 हिस्सा पूनमा (प्रति. संख्या 01), 1/3 हिस्सा वीरा के कायम मुकाम लाला, लिच्छा, छोगा, सोना के नाम घोषित करते हुए विभाजन किया गया। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व अधिकारियों ने खसरा सं. 80 रकबा 232–04 का म्यूटेशन भर दिया तथा खसरा सं. 80/1 रकबा 77–08 पूनमा का, खसरा 80/2 रकबा 77–08 तुलछा का एवं खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा लाला, लिच्छा, छोगा, सोना पि. वीरा के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। कि लिच्छा व सोना द्वारा खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा की भूमि में से 1/4 – 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान जरिये रजि. विक्रम पत्र से प्रतिवादी हीरालाल, पारसमल पि. भंवरलाल को कर दिया। जबकि लिच्छा व सोना को 1/6 – 1/6 हिस्से की भूमि बेचान करने का अधिकार था। यद्यपि लिच्छा व सोना द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि से अधिक भूमि का बेचान प्रतिवादी हीरालाल, पारसमल पि. भंवरलाल को

27/12/22

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

किया है जो बेचान वादीगण के हिस्से व अधिकारों के प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी समझा जावे। कि तुलछा द्वारा सहायक जिलाधीश बाड़मेर के न्यायालय राजस्व वाद संख्या 203/83 प्रस्तुत करते समय वीरा के केवल चार पुत्रों को ही प्रतिवादी सं. 2 से 5 बनाम गया था जबकि वीरा के 2 अन्य जाईन्दा पुत्रियां जीवित थी जिन्हें श्री तुलछा द्वारा सहायक जिलाधीश बाड़मेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते समय पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में गेहरों पुत्री वीरा एवं वरजू पुत्री वीरा को तुलछा द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी आज दिन तक नहीं हुई और न ही इस वाद की जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 व 4 द्वारा की गई। कि गेहरो एवं वरजू, वीरा की जायन्दा पुत्रियां हैं तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–08 के प्रावधान अनुसार पुत्रियों का भी जन्म से हक एवं हिस्सा होता है ऐसी स्थिति में वीरा के हिस्से में आना खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 मौजा आकाली की भूमि में 1/6 – 1/6 हिस्सा कमशः खातेदारी का होता है जिसे घोषित करवाने हेतु यह वाद श्रीमान् प्रस्तुत किया गया है। कि बिनाय दावा तब पैदा हुआ जब मौजा आकली का खसरा संख्या 80 रकबा 232–04 सेटलमेंट अधिकारियों की भूल से पूनमा पुत्र कस्तुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ तो तुलछा द्वारा श्रीमान सहायक जिलाधीश बाड़मेर के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया तथा इस वाद में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अभी वर्तमान में भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाने के कारण प्रतिवादीगण खसरा सं. 80 रकबा 77–08 बीघा भूमि का बेचान किसी अन्य व्यक्तियों को करने को उतारू हुए जिसकी जानकारी वादीगण को सात दिवस पूर्व होने पर वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का तकाजा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 से मांगा तो प्रतिवादीगण टालमटोल करने लगे तब–तब बमुकाम आकली तहसील धोरीमन्ना में पैदा हुआ। कि मौजा आकली तहसील गुड़ामालानी (वर्तमान– धोरीमन्ना) के खेत खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी हीरालाल, पारसमल पिसरान भंवरलाल का बेचान पत्र वादीगण के हिस्से व अधिकारों के प्रति शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

उक्त दोनों वादपत्रों के हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने के पश्चात् उपर्युक्त खसरा सं. 80 रकबा 77–08 बीघा आराजी के संबंध में एक अन्य राजस्व वाद श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व. वीराराम द्वारा 15.07.2014 को विरुद्ध प्रतिवादीगण 01 ता 08 प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र को भी दिनांक 23.05.2016 को पूर्ववर्ती वादपत्र 276/15 के साथ समायोजित कर दिया गया। दिनांक 06.02.2018 को अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जमना देवी पत्नी स्व. वीराराम के फौत होने एवं उसके कायम मुकाम पहले से रिकॉर्ड पर होने के कारण 323/15 के प्रकरण पर किसी प्रकार का विचारण नहीं किया जावे। इस प्रकार हाजा न्यायालय द्वारा तीनों वादपत्रों को समायोजित किया गया।

वादपत्र को दर्ज रजि. कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 ता 05 बावजूद सम्यक् के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके जवाबदावा को बंद किया गया। प्रतिवादी सं. 06 ता 07 के वाद को हस्तगत वाद में जवाबदावा के रूप में हमने स्वीकार किया। वादी साक्ष्य के रूप में वादी छोगाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–01 प्रस्तुत किया जिसे सामिल मिसल किया गया तथा वादी के बयानों को कलमबद्ध किया गया। साक्ष्य वादी के दौरान दस्तावेजात को प्रदर्श किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2069–72 खसरा संख्या 80 को प्रदर्श पी– 01, नामांतरकरण संख्या 61 को प्रदर्श

27/12/22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

पी–02, नामांतरकरण संख्या 76 को प्रदर्श पी–03, नजरी नक्शा खसरा संख्या 80 को प्रदर्श पी–04 तथा छोगाराम पुत्र वीराराम के आधार कार्ड की प्रति को प्रदर्श पी–5ए किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर "वादी साक्ष्य ओर पेश नहीं करना चाहता हूँ" कथन करने पर वादी साक्ष्य को पत्रावली पर बंद किया गया एवं पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान प्रतिवादी वरजू देवी पुत्री वीराराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र डीडब्ल्यू–01, प्रतिवादी गेहरों पुत्री वीराराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र डीडब्ल्यू–02 पेश किया जिन्हें सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी गेहरो पुत्री वीराराम एवं वरजू देवी पुत्री वीराराम के बयानों को कलमबद्ध किया गया एवं इनकी जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गई। साक्ष्य प्रतिवादी के दौरान जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खसरा संख्या 80 को प्रदर्श डी–01, नामांतरकरण संख्या 76 को प्रदर्श डी–02, नामांतरकरण संख्या 61 को प्रदर्श डी–03, माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश बाड़मेर के वाद संख्या 203/83 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्श डी–04, आधार कार्ड गेहरों को प्रदर्श डी–5ए, प्रदर्शित किया गया। अन्य प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर पत्रावली पर साक्ष्य प्रतिवादी को बंद किया जाकर पत्रावली को बहस में नियत किया। अधिवक्ता वादी की ओर से दिनांक 24.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विड्रो करने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उपर्युक्त वाद पेश होने के बाद एक वाद जो वीरा की पुत्रियों द्वारा पेश किया गया जिसमें वादी के वाद के साथ समायोजन होने पर हिस्सा 1/4 की जगह 1/6 हो गया तथा वाद समायोजित हो जाने से अब उक्त वाद में बंटवाड़ा सारहीन हो जाने से अब धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आगे चलाया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधि. प्रतिवादी द्वारा "नो ऑब्जेक्शन" प्लीड करने एवं उभयपक्ष द्वारा घोषणा तक ही वाद को डिक्री करने का निवेदन करने पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया।

उभयपक्षकारान द्वारा हस्तगत प्रकरण में जरिये अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस को सामिल मिसल किया गया। लिखित बहस में वादी की ओर से निवेदन किया कि पैतृक–पुश्तैनी आराजी मौजा–आकली, पटवार हल्का– बोरचारणान के खसरा 80 रकबा 77–08 बीघा में सभी जायन्दा औलाद का बराबर हक–हिस्सा बनता है तथा मुतवफी वीरा के 06 संतान थी जिसमें लाला फौत हो चुका जिसके 02 पुत्र व पत्नी को वाद में प्रतिवादी सं. 01 से 03 के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा शेष संतान लिच्छा, सोना, गेहरो, वरजू एवं स्वयं वादी के रूप में कुल 06 संतान है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा बनता है तथा उसी अनुसार वादी का 1/6 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी गेहरो व वरजू को उक्त विवादग्रस्त आराजी में सहखातेदार के रूप में दर्ज कर उनका भी 1/6 – 1/6 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारिणी है तथा वादी के भाई लिच्छा व सोना का पैतृक रूप से इस आराजी में 1/6 – 1/6 हिस्सा बनता है इसलिए इन दोनों के खरीददार प्रतिवादी संख्या 04 व 05 का भी 1/6 – 1/6 हिस्सा घोषित किया जाना विधि सम्मत है।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गेहरों व वरजू द्वारा बहैसियत वादीनीगण विरुद्ध भंवरा वगैरह के एक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था वादीनीगण द्वारा अपने दादा किस्तुरा के समय की पैतृक भूमि खेत खसरा संख्या 80 रकबा 232–04 बीघा में पारिवारिक घोषणा के निर्णय द्वारा वीरा के वारिसों का बंटवाड़ा कर अलग से खाता कायम करते हुए खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा में वादीनीगण द्वारा अपना हक–हिस्सा घोषित करने

27/12/22

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

एवं स्थायी निषेधाज्ञा पाने बाबत् एक वाद पेश किया परंतु उक्त भूमि में पूर्व में वादीनीगण के वाद पेश करने से पहले वादीनीगण के भाई छोगाराम द्वारा एक अन्य वाद संख्या 177/2013 पेश कर रखा था एक ही भूमि होने से वादीनीगण का वाद संख्या 282/2015 छोगा द्वारा पेश वाद संख्या 177/2013 के साथ समायोजित कर दिया गया तथा समायोजित होने से छोगा वादी हो गया तथा छोगा के वाद, वादीनीगण व छोगा के भाई लाला के फौत हो जाने से उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 01 से 03 तथा वादीगण के भाई लिच्छा व सोना द्वारा क्रमशः हीरालाल व पारसमल को अपना सम्पूर्ण पैतृक हिस्सा बेचान करने से उनकी जगह प्रतिवादी पक्षकार में खरीददार (हीरालाल) प्रतिवादी संख्या 04 एवं खरीददार पारसमल प्रतिवादी संख्या 05 के रूप में दर्ज है तथा उनको जो हिस्सा लिच्छा व सोना के बंट में आता वो ही हिस्सा इन दोनों को मिलेगा। लिहाजा राजस्व मौजा– आकली पटवार हल्का– बोर चारणान के खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा किस्म बारानी सोयम आराजी में वीरा की जायंदा पुत्रियों गेहरों व वरजू प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा घोषित करते हुए वादी के हिस्से को संशोधित करते हुए 1/6 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जावे एवं लाला पुत्र वीरा के वारिसान का हिस्सा संयुक्त रूप से 1/6 अर्थात् प्रत्येक का 1/18 – 1/18 हिस्सा घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 का 1/6 – 1/6 हिस्सा घोषित किया जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की लिखित एवं मौखिक बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए पत्रावली, साक्ष्यों सहित समस्त दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन करते हुए उन पर गौर किया। हस्तगत वादपत्र को हम निम्नलिखित बिन्दूवार विवेचित करना उचित समझते हैं :–

1. सर्वप्रथम हमने गेहरों एवं वरजू के वादपत्र तथा वादी छोगाराम के साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–01 का अध्ययन किया, उक्त के अध्ययन से स्पष्ट है कि गेहरो एवं वरजू, वीरा की जायंदा पुत्रियां हैं, इस बाबत् वादी छोगाराम एवं वरजू व गेहरों द्वारा शपथ पत्र पर कथन किए हैं।
2. लिखित बहस, साक्ष्य शपथ पत्र वादी पीडब्ल्यू–01, साक्ष्य शपथ पत्र डीडब्ल्यू–01, साक्ष्य शपथ पत्र डीडब्ल्यू–02 इत्यादि के अध्ययन से स्पष्ट है कि वीरा पुत्र किस्तुरा के वक्त फौतगी निम्न वारिसान थे।

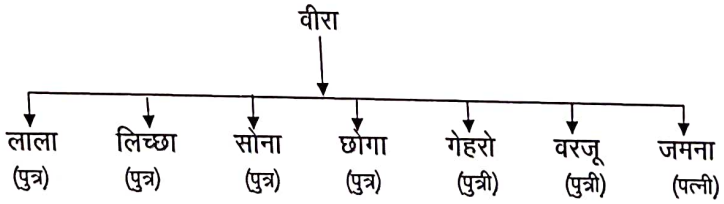

चूंकि जमना पत्नी वीरा के फौत हो चुकी है तथा इसके कायम–मुकाम पहले से ही वादपत्र में बतौर वादी एवं प्रतिवादी संयोजित हैं तथा लाला पुत्र वीरा के फौतगी उपरांत उसके कायम–मुकाम को वादपत्र में पक्षकार संयोजित है। इस प्रकार वीरा के 06 वारिसान थे।

3. **वादग्रस्त आराजी पैतृक–पुश्तैनी है या नहीं :–**
   इस बिन्दु के सम्यक् विवेचन हेतु हमने साक्ष्य प्रतिवादी के दौरान प्रस्तुत प्रदर्श डी–04 का अवलोकन किया। प्रदर्श डी–04 के अध्ययन से स्पष्ट है तुलछा पुत्र किस्तुरा द्वारा एक राजस्व वाद प्रतिवादीगण पूनमा पुत्र कस्तुरा, लाला, लिच्छा, सोना, मिसरान वीरा के विरुद्ध अंतर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

27/12/22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

का न्यायालय श्री बी.एन. शर्मा आर.ए.एस. सहायक जिलाधीश बाड़मेर के न्यायालय में वाद संख्या 203/03 के रूप में प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तुलछा पुत्र किस्तुरा द्वारा खसरा संख्या 80 रकबा 232–04 बीघा आराजी में 1/3 हिस्से की घोषणा उपरांत विभाजन का वादपत्र पैतृक–पुश्तैनी आराजी के आधार पर प्रस्तुत किया। न्यायालय सहायक जिलाधीश, बाड़मेर द्वारा वाद संख्या 203/83 का निर्णय दिनांक 16.01.1984 को खसरा संख्या 80 रकबा 232–04 की आराजी को पैतृक–पुश्तैनी मानते हुए तुलछा पुत्र किस्तुरा के 1/3 हिस्से का एवं वीरा के पुत्रों लाला, लिच्छा, छोगा, सोना को 1/3 हिस्से का एवं पूनमा पुत्र किस्तुरा को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करनते हुए खसरा संख्या 80/1 रकबा 77–08 बीघा, पूनमा पुत्र किस्तुरा को, खसरा संख्या 80/2 रकबा 77–08 बीघा तुलछा पुत्र किस्तुरा को एवं खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा वीरा के पुत्रों लाला, लिच्छा, छोगा, सोना को विभाजित किया गया। निर्णय राजस्व वाद 203/83 के निर्णयन से स्पष्ट है खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा आराजी वीरा के पुत्रों लाला, लिच्छा, छोगा एवं सोना को पैतृक–पुश्तैनी आधार पर प्राप्त हुई। चूंकि तुलछा पुत्र किस्तुरा द्वारा सहायक जिलाधीश बाडत्रमेर के न्यायालय में वाद 203/83 में वीरा की पुत्रियों एवं पत्नी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया। जबकि वीरा की पुत्रियां क्रमशः गेहरों, वरजू तथा वीरा की पत्नी जमना भी आवश्यक पक्षकार थी। हमने प्रदर्श पी–02 एवं प्रदर्श डी–03 नामांतरकरण संख्या 61 का अध्ययन किया, उक्त म्यूटेशन न्यायालय सहायक जिलाधीश बाड़मेर के वाद संख्या 203/83 के निर्णय की पालना में पारित किया।

चूंकि जमना पत्नी वीरा वर्तमान में फौत हो चुकी है लिहाजा वीरा पुत्र किस्तुरा के 06 प्रथम श्रेणी के वारिसान थे अर्थात् प्रत्येक का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा ही होगा। हमने प्रदर्श पी–03 एवं प्रदर्श डी–02 जो कि नामांतरकरण संख्या 76 है। उक्त नामांतरकरण संख्या 76 लिच्छा, सोना पि. वीरा द्वारा अपने–अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को हीरालाल, पारसमल पि. भंवरलाल को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामे के आधार पर पारित किया गया। उपर्युक्त समग्र विवेचन के अध्ययन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में लिच्छा पुत्र वीरा एवं सोना पुत्र वीरा प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा ही बनता है। जबकि लिच्छा पुत्र वीरा एवं सोना पुत्र वीरा प्रत्येक द्वारा 1/4 – 1/4 हिस्सा हीरालाल, पारसमल पि. भंवरलाल को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामे से किया गया। इस प्रकार लिच्छा पुत्र वीरा एवं सोना पुत्र वीरा द्वज्ञरा अपने हक हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया गया है। अतः हिस्से से अधिक आराजी का बेचान विधि की दशा में आरम्भतः शून्य की श्रेणी में आता है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में वादी छोगा का 1/6 हिस्सा, लाल के वारिसान प्रति. संख्या 01 ता 03 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा ही है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में वादी छोगा को 1/6 हिस्से का लाला के वारिसान प्रति. संख्या 01 ता 03 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी वरजू पुत्री वीरा को 1/6 हिस्से का, गेहरो पुत्री वीरा को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोशित करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं साथ ही लिच्छा, सोना पि. वीरा द्वारा अपने हिस्से से अधिक किये गये बेचान को आरम्भतः शून्य की श्रेणी के तहत मानना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं। अर्थात् लिच्छा द्वारा 1/4 हिस्से के बेचान को 1/6 हिस्से तक ही एवं सोना द्वारा 1/4 हिस्से के बेचान को 1/6 हिस्से तक ही माना जावे। अर्थात् हिस्से से अधिक बेचान को आरम्भतः शून्य की श्रेणी में माना जावे क्योंकि उन्हे हिस्से से अधिक आराजी के बेचान का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

27/12/22

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

लिहाजा प्रतिवादी पारसमल, हीरालाल पुत्र भंवरलाल का वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक के हिस्से को 1/4 के स्थान पर 1/6 दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद, वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजाः–आकली, पटवार हल्का–बोर चारणान तहसील–धोरीमन्ना के खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा किस्म बारानी सोयम में वादी छोगाराम पुत्र वीराराम को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी 01 ता 03 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का (अर्थात् प्रतिवादी 01 ता 03 प्रत्येक को 1/18 – 1/18 हिस्से का), प्रतिवादी 06 गेहरों देवी को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी वरजू देवी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 के हिस्से को 1/4 के स्थान पर 1/6 किया जाता है (क्योंकि हिस्से से अधिक बेचान आरंभतः शून्य की श्रेणी में आता है) घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, पत्रावली इसी कदर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते बाड़मेर

27/12/22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक– 27/12/22 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

27/12/22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास :–श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. छोगाराम पुत्र वीराराम जाति– सुथार, निवासी– आकली, तहसील– धोरीमन्ना (बाड़मेर)		1. भंवरराराम पुत्र लालाराम 2. मोहन पुत्र लालाराम 3. खिवणी पत्नी लालाराम, सभी जातियान– सुथार, निवासी– आकली, तहसील– धोरीमन्ना। 4. हीरालाल पुत्र भंवरलाल 5. पारसमल पुत्र भंवरलाल, सभी जातियान सोनी, निवासी अरणियाली। 6. गेहरों देवी पत्नी हुकमाराम पुत्री वीराराम 7. वरजू देवी पत्नी अमराराम पुत्री वीराराम

मुकदमा नम्बर :– 276/2015
दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादीगण वकील उपस्थित एवं प्रतिवादीगण वकील उपस्थित राज पेरोकार तहसीलदार धोरीमना मनजानिव मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद, वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा:–आकली, पटवार हल्का–बोर चारणान तहसील–धोरीमन्ना के खसरा संख्या 80 रकबा 77–08 बीघा किस्म बारानी सोयम में वादी छोगाराम पुत्र वीराराम को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी 01 ता 03 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का (अर्थात् प्रतिवादी 01 ता 03 प्रत्येक को 1/18 – 1/18 हिस्से का), प्रतिवादी 06 गेहरों देवी को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी वरजू देवी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 के हिस्से को 1/4 के स्थान पर 1/6 किया जाता है (क्योंकि हिस्से से अधिक बेचान आरंभतः शून्य की श्रेणी में आता है) घोषित किया जाता है।

नीज..............–..............मुबलिक..................–............बाबत्.....–.........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–...... ......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27/12/22 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर (सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर)

27/12/22
(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
(जिला-बाड़मेर)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना